

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 472
24.07.2023 को उत्तर के लिए

सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली

472. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी :
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :
सुश्री सुनीता दुग्गल :
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएएक्यूएमएस), की खरीद के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय निधि वापस लेने के पीछे क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार वास्तविक समय में वायु प्रदूषण नियंत्रण निर्णय लेने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) निर्धारित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित निगरानी उपकरणों को तैनात करने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने सभी मानदंड प्रदूषकों की वास्तविक समय की निगरानी का विस्तार करने के साथ-साथ मौजूदा आंकड़ों में अंतर को पाटने के लिए कम लागत वाले सेंसर के अलावा स्वदेशी निगरानी उपकरणों को प्रमाणित करने के लिए संस्थानों की स्थापना की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) से (ङ) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत शहर स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा तैयार की गई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित शहरी कार्य योजना के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार किए जाने संबंधी उपायों के लिए मानकों को पूरा न करने वाले शहरों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

केंद्रीय क्षेत्र स्कीम 'प्रदूषण नियंत्रण' के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (एनएएमपी) के संघटक के तहत आवश्यकता के आधार पर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (एक्यूएमएस) की स्थापना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को अलग से निधियां प्रदान की जाती हैं।

हालांकि, एसपीसीबी/पीसीसी, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से भी एक्यूएमएस स्थापित कर सकता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) को दिनांक 22.08.2019 की अधिसूचना का.आ. 3023(अ) में उत्सर्जनों और परिवेशी वायु की निगरानी उपकरणों और उपकरण को प्रमाणित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रमाणन अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। सीएसआईआर-एनपीएल को सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) के अलावा मैनुअल नमूना संग्रहणकर्ताओं और सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएक्यूएमएस) दोनों के लिए अवसंरचना, प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 17605 और आईएसओ 17025

जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं को विकसित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

किफायती सेंसर (एलसीएस) यंत्रों के लिए विनिर्देशों, निष्पादन मानदंडों, प्रयोगशाला अंशांकन, कार्य क्षेत्र ट्यूनिंग प्रोटोकॉल को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कार्यकारी समूह गठित किए गए हैं।
